प्रेस विज्ञप्ति, मार्च 17, 2020

पुरे भारतवर्ष की 1000 से ज्यादा महिलाएं राज्य मुख्या मंत्रियों को यह लिखती है की - *"एन.पी.आर. महिलाओं के ऊपर स्पष्ट रूप से खतरा उत्पन्न कर रहा है, एन.पी.आर. को जनगणना के सूचीकरण से अलग करो"*

चूंकि 1 अप्रैल, 2020 से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) का अद्यतनीकरण जनगणना के सूचीकरण के साथ अनुसूचित है, प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता जिनमे एनी राजा, फाराह नकवी, अंजलि भारद्वाज, वाणी सुब्रमनियम, मीरा संघमित्रा, मरियम धावले और पूनम कौशिक शामिल है; इन्होने दिल्ली प्रेस क्लब में एक पत्र की विज्ञप्ति की जिसपर एक हज़ार से ज्यादा महिलओं ने दस्तखत किये है । यह पत्र आज सुबह इस देश के सभी मुख्यमंत्रियों को भेजा गया । दस्तखत करने वालों में कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षाविद, वकील, डॉक्टर, किसान, पेशेवर लोग, आंगनवाडी कार्यकर्ता और अन्य महिलाएं 20 से ज्यादा राज्यों से शामिल है ।

पत्र में लिखा है की, "हम भारत की महिलाओं के रूप में लिख रहीं है जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) के खिलाफ़ हैं । भारत की 50% जनसंख्या महिलाएं हैं, और यह खिलाफी हमारे जीवन के अनुभवों से स्पष्ट साक्ष्य रखती है ।"

प्रेस सम्मलेन में एनी राजा ने कहा की, "अधिकतर महिलाओं के नाम ज़मीन या संपत्ति नहीं होती है, उनकी साक्षरता दर कम होती है, और वह शादी के बाद माता पिता का घर बिना किसी कागज़ात के छोड़ देती है । असाम में, 19 लाख जैसी बड़ी तादात जो एन.आर.सी. से छूटी है वह महिलाएं है । यह सच्चाई है ।"

"सब महिलाएं, जाती और धर्म के निरपेक्ष यह एन.पी.आर.-एन.आर.आई.सी. नागरिकता जैसी व्यवस्था से प्रभावित होंगी जो नागरिकता की परीक्षा मनमानी और डराकर लेने की तैयारी में है" फाराह नकवी ने कहा । उन्होंने कहा "महिलाएं और बच्चे जो आदिवासी समुदाय से है, दलित महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, प्रवासी श्रमिक, छोटा किसान, भूमिहीन, घरेलु कार्मिक, यौन कर्मी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नागरिकता साबित करने को काहा जायेगा; यह सब पर बेदखली का जोखिम है ।"

अंजलि भरद्वाज ने नागरिकता कानून की धरा 14 और 2003 नियम के बारे में कहा जिसमे साफ़ साफ़ एन.पी.आर. सामग्री को भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एन.आर.आई.सी.) के साथ जोड़ने की बात कही है और स्थानीय रजिस्ट्रार को शक्ति दी है के वह लोगो को "संदिग्ध नागरिक" बना सके । उन्होंने कहा गृह मंत्री नें जो 12 मार्च को संसद में कहा था की किसी को भी "संदिग्ध" नहीं बनाया जायेगा उसकी कोई कानूनी गुणवत्ता नहीं होगी जबतक उचित कानूनों और नियमों में संशोधन नहीं किये जायेंगे ।

प्रेस सम्मलेन में शामिल वक्ताओं ने कहा की जनगणना जैसी प्रक्रिया की गुणवत्ता बचाए रखने के लिए राष्ट्रभर की महिलाओ ने हर राज्य के मुख्य मंत्री को एन.पी.आर. को जनगणना से अलग करने को कहा है, जहा प्रगणक *सिर्फ* जनगणना का सूचीकरण करें । हालांकि कई राज्यों ने सी.ऐ.ऐ., एन.आर.सी, एन.पी.आर के खिलाफ़ विधान सभा में संकल्प पत्र जारी किये है, लेकिन जबतक जनगणना और एन.पी.आर को अलग करने के लिए कार्यकलाप आदेश

जारी नहीं होते जो की अप्रैल 1 से शुरू होगा, संकल्प पत्र केवल एक अभिव्यक्ति बन कर रह जायेगा । हर राज्य को कार्यकलाप आदेश तुरंत जारी करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा ।

दो राज्य - केरल और पश्चिम बंगाल ने एन.पी.आर. को अलग रखने के लिए कार्यकलाप आदेश जारी किये हैं, तथा राजस्थान और झारखण्ड ने अप्रैल 1, 2020 से सिर्फ जनगणना करने का आदेश दिया है । वक्ताओं नें इन राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही को सराहा ।

पत्र का कथन जो मुख्य मंत्रियों को भेजा गया है और ऊपर बोले गए राज्यों द्वारा दिए आदेश/ अधिसूचना यहाँ देखे जा सकते हैं- https://drive.google.com/drive/folders/17jnovR4wTYBw9p7nTLiFJIMYO-6Agh6w?usp=sharing

दस्तखत/-

एनी राजा, फाराह नकवी, अंजलि भारद्वाज, वाणी सुब्रमनियम, मीरा संघमित्रा, मरियम धावले और पूनम कौशिक

संपर्क: 9810273984, 9891128911